बिहार विधान सभा वाद वृत्त

मंगलवार, तिथि 21 जुलाई 1998 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा

का

कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में

मंगलवार, तिथि 21 जुलाई 1998 ई० को पूर्वाह्न 11:00 बजे

अध्यक्ष, श्री देवनारायण यादव के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा एल॰पी॰ नं॰- 19/94 दायर है जो अभी विचाराधीन है।

खंड-2 उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वर्तमान में स्वीकृत प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक एवं प्रवर्त्तन निरीक्षक के कुल स्वीकृत बल 33 से एक भी अधिक पदाधिकारी कार्यरत नहीं है।

खंड-3 उपर्युक्त कंडिकाओं के आलोक में अभी वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्दर सिंह नामधारी - अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगें कि अभी जितने पदों पर प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक कार्यरत है क्या उससे आप का काम सही रूप से चल रहा है या और उसकी आवश्यकता महसुस करते है ;

श्रीमति शांति देवी : महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी जी इस विभाग के मंत्री रह चुके है। वे जानते है। अभी जितने पद सृजित है उतने व्यक्तिपद के अनुसार काम कर रहे है। आगे काम चले या नहीं चले, कार्मिक विभाग उको रिपोर्ट किया गया है। यहां से आने के बाद सरकार विचार करेगी।

दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई

७५. **श्री राम देव वर्मा** - दिनांक 17 अप्रैल, 1998 की स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित "कल्याण विभाग ने अंततः सौ करोड़ सरेंडर किया" शीर्षक की ओर ध्यान देते हुए क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि-

(1) क्या यह बात सही हैं कि कल्याण विभाग ने दिनांक 16 अप्रैल, 1998 को वित्तीय वर्ष 1997-98 की समेकित बाल विकास परियोजना की 57 करोड़ रूपये, कार्यक्रम का 19.5 करोड़ रूपये, पोषाहार कार्यक्रम का 19.5 करोड़ रुपयेए आहार वितरण कार्यक्रम का 15.61 करोड़ रूपये, महिला

कल्याण को वाह्य पोषित कार्यक्रम का 7.31 करोड़ और छात्रावासों के निर्माण के कलए आवंटित 1.82 करोड़ रुपये बिना खर्चा किये प्रत्यार्पण कर दिया ;

(2) यदि उपर्यूक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार समयानुसार इस राशि को खर्च नहीं करने वाले विभाग के दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखेती है, यदि नही, तो क्यों ?

श्री तुलसी सिंह-

खंड-१ उत्तर स्वीकारात्मक है। वर्ष 1997-98 में निम्न रूप से राशि का सरेंडर किया गया है :-

(क) बाल विकास सेवा योजना	-	57,94,81,000.00
(ख) पोषाहार कार्यक्रम योजना	-	19,32,17,000.00
(ग) आहार वितरण कार्यक्रम	-	15,60,99,000.00
(घ) महिला कल्याण वाह्य पोषित कार्यक्रम	-	7,38,26,050.00
(ड) छात्रावास निर्माण	-	20,00,000.00

क्रमांक (क) से (ग) मदों की राशि वित्तीय वर्ष 1997-98 में नई आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ परियोजनाओं के स्वीकृत एवं उनके कार्यशील नहीं होनें, पदों पद बहाली नहीं होनें।

क्रमांक (घ) की राशि भारत सरकार से योजना स्वीकृत नहीं होने तथा क्रमांक (ड.) की राशि की निकासी नही होने के कारण प्रत्यापित करना पड़ा।

खंड-2 उपरोक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मै आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि राज्य का सबसे निर्धनतम तबका, बच्चे और महिलाएँ, जो गरीब हैं और हरिजन छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का सवाल है, गत वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रूपए का जो आवंटन था इन्होनें उसको लौटा दिया, सरेंडर कर दिया। इसमें दो प्वाइंट हैं, इसमें पहली बात है कि 31 मार्च को सरेंडर होना चाहिए था लेकिन 16 अप्रैल, 98 को सरेडर करने का कया औचित्य है? क्यों राशि को 16 दिन के बाद सरेंडर किया गया? दूसरी बात, जितने निर्धनतम परिवार और निर्धतम लोगों को राहत देने की बात थी.........

अध्यक्ष : एक एक कर के पुछिए न ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, दोनो प्रश्न एक दूसरे से संबंधित है कि क्या औचित्य है। अप्रील के बाद सरेंडर करने का ? दूसरी बात, इतना बात दें निर्धतम तबके के लोगों की राहत देने के लिए, स्टाईपेंड देने के लिए पैसा आया लेकिन सरकार कितनी सक्षम है कि इसको वह ड्रॉ भी नहीं कर सकी, इसके लिए कौन जवाबदेह है? कम से कम सरकार इसका अवाब दे कि निर्धनतम तबके के लोगों के लिए आया पैसा कैसे सरेंडर हुआ, इसके लिए कौन जवाबदेह है ?

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैने अपने उत्तर में माननीय सदस्य को स्पष्ट कहा है, कि सरकार ने किसी बात को छिपाने का प्रयास नहीं किया है। सरकार ने जो राशि सरेडर किया है, सही किया और कारण यह था कि कुछ योजनाएं जो भारत सरकार के स्तर से स्वीकृत होनी थी, वह स्वीकृत नहीं की गयी। कुछ ऐसी ही योजनाएं थी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, राशि का सरेंडर अप्रील महीनें में किया गया। मै कह रहा हूँ कि सरेंडर करने की प्रक्रिया अपनी जगह पर है, वह किया गया और यह प्रक्रिया के तहत किया गया। जहां तक तिथि की बांत है, यह गंभीर बात नही है। सरेंडर किया गया है, यह महत्वपूर्ण बात है। सरेंडर जो किया गया, वह प्रक्रिया के तहत किया गया, यह कल्याण विभाग और वित्त-विभाग की प्रक्रिया के तहत किया गया, दूसरी बात, इन्होनें कहा है कि यह गरीबों के लिए है, सरकार

इससे बहुत चिंतित है। सरकार भविष्य में निश्चित रूप से ध्यान में रखेगी कि आगे से राशि का सरेंडर नहीं हो सके। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम कार्रवाई करेगी।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। 16 अप्रैल को सरेंडर हुआ, इसका क्या औचित्य है, वित्तीय नियमावली के तहत, यह राशि जो 16 अप्रैल को किया गया है, यह नियमानुकुल नहीं है।

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वित्त विभाग और कल्याण विभाग संबंधित है। इस संबंध में माननीय सदस्य डिटेल सूचना चाहते है तो इनको अलग से प्रश्न पूछना चाहिए, इसका जवाब दे दिया जाएगा।

श्री महेन्द्र प्र० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले से उठा हुआ हूँ प्रश्न पूछने के लिए।

अध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री महेन्द्र प्र० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न पुछने के लिए आपके अनुमति मांगी है।

श्री रामाश्रम प्र० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले पुछा है आपसे। हम आपके माध्यम से जानना चाहते है कि न केवल इस वर्ष बल्कि गत वर्ष भी सरेंडर हुआ कल्याण विभाग की राशि का । उसके पहले वर्षो में भी हुआ है। लगातान तीन वर्षो से आपके विभाग की राशि सरेंडर हो रही है, यह क्यों हो रहा है ? यह सराकर की अंक्षमता है, यह आपकी सरकार का फेल्योर है। भारत सरकार के पैसों का मिस्यूज है, यह आप स्पष्ट कीजिए।

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैने स्पष्ट कहा कि जो प्रश्न था कि राशि सरेंडर हुआ है, मैने अपने जवाब में सदन के सामने बात कही है और उसका कारण भी दिया; मूल कोश्चन यही है। जो योजनाएं स्वीकृत होनी थी वह योजना स्वीकृत नहीं हुई। अब माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न उठा रहे है कि

सरेंडर अप्रैल में क्यों हुआ ? मैने कहा कि यह प्रक्रिया उके तहत हुआ है। यदि माननीय सदस्य इसके बारे में डिटेल जानना चाहते है तो अलग से सूचना देने की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आतंरक संसाधन समिति की रिपोर्ट में भी कल्याण विभाग के बारे में मैने कहा है, इसमें विभाग का टोटल फेल्योर है........

:व्यवधान:

श्री महेन्द्र प्र० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि कुछ योजनाओं की राशि का उपयोग इसलिए नहीं हुआ कि केन्द्र से योलजनाओं की मंजुरी नहीं हुई। मै कह रहा हूं कि यह जवाब गोल-मटोल है। यह साफ-साफ बताया जाए कि कितने करोड़ राशि का उपयोग केन्द्र सरकार की मंजूरी के कारण नहीं हो उसकी और कितने करोड़ की राशि का उपयोग राज्य सरकार की असफलता के कारण नहीं हो सकी, मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें।

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मै स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो राशि सरेंडर हुआ है, दूसरे वर्ष में भैलिडेट करने की कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष उसका उपयोग किया जायेगा।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा.......

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर होने दिया जाय।

अध्यक्ष : मोदी जी, पहले महेन्द्र बाबु को कहने दीजिए।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैने बहुत स्पष्ट पुछा कि केन्द्र की मंजूरी के अभाव में कितना रूपया प्रत्यार्पित हुआ और राज्य की अक्षमता की

वजह से कितनां रूपया प्रत्यार्पित हुआ? क्योंकि मंत्री जी ने अपने जवाब में केन्द्र की मंजूरी के अभाव में कुछ राशि खर्च नहीं होने की बात कही है, वह राशि कितनी थी और राज्य की अकर्मण्यता की वजह से जो राशि प्रत्यार्पित हुयी, वह राशि कितनी थी?

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि यह पैसा खर्च किया जायेगा, समय पर खर्च नहीं हुआ, यह मैंने स्वीकार कर लिया लेकिन पैसा खतम नहीं हुआ है। पैसा है और इसका उपयोग किया जायेगा। अब आगे सवाल ही कोई नहीं उठता है।

:व्यवधान:

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को कृपया निर्देश दीजिए कि ये इस सवाल का जवाब दें या कहें कि वे इस सवाल का जवाब देनें में अक्षम है।

श्री तुलसी सिंह : महोदय, 117 नयी योजनाये आने वाली थी, जो स्वीकृत नहीं होने के कारण नहीं ली जा सकीं।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि कुछ पद खाली थे, जिनको भरा नहीं जा सका, इसके कारण राशि सरेंडर हुआ। दूसरा कारण मंत्री जी ने राशि सरेंडर होने का यह बताया कि निकासी समय पर नहीं हुई। महोदय, यह राशि री-भैलिडेट तो हो जायेगा लेकिन एक वर्ष में जो पैसा खर्च किया जाना था राज्य के गरीबों के लियें, महिलाओं के लिए, वह पैसा इसलिए खर्च नहीं किया जा सका कि पदों को नहीं भरा जा सका। महोदय, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जो सरकार गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों की बात करता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सदन में विशेष अंगीभूत योजना का मामला उठा जिसका यूटिलाईजेशन आज तक नहीं हुआ । महोदय, कल्याण मंत्री सिर्फ अपना कल्याण कर रहे है और मुख्यमंत्री जी का कल्याण कर रहे हैं न कि राज्य के गरीबों का कल्याण कर रहें है। महोदय, कल्याण

विभाग के पूरे मामले की जांच कराने के लिए आप सदन की समिति बना दीजिए । क्या कारण है कि कल्याण विभाग में पिछले पाँच वर्षो से राशि सरेंडर होता है, पैसे का डायवर्सन होता है? महोदय, हरिजन, गरीब, आदिवासी, महिला के कल्याण के लिए सारी योजनायें पूरी तरह ठप हो गयी हैं।

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता, विरोधी दल को कहना चाहता हूँ कि प्रश्न भाषण नहीं होता है। जो राशि सरेन्डर हुआ है, राशि सामने है, इसके गबन का तो काई प्रश्न नही उठता है । मोदी जी को प्रश्न पुछना चाहिए न कि भाषण देना चाहिए। मैने कहा कि पिछले वर्ष कर्मचारियों की हड़ताल और चूनाव की वजह से भी वाधा हुई।

:व्यवधान:

अध्यक्ष : आपलोग एक-एक करके सवाल कीजिएगा, तब न मंत्री जी जवाब दे सकेगें।

श्री तुलसी सिंह (मंत्री) : महोदय, कर्मचारियों की हड़ताल और उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव, दोनो के कारण काम करने में बाधा पैदा हुई, इनके कारण तीन-चार महीने का समय ले लिया जिसके चलते समय पर 117 योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिल सकी। फलत: पैसा सरेंडर हुआ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है। मंत्री जी ने कहा कि कुछ योजनीयें केन्द्र के द्वारा समय पर स्वीकृत नहीं हुई जिसके कारण पैसा सरेंडर करना पड़ा । मै आपके माध्यम से मंत्री जी से पुछना चाहता हूँ कि केन्द्र से योजनाओं की स्वीकृति कराने के लिये आपके स्तर से क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्री तुलसी सिंह : महोदय, केन्द्र से योजनाओं की स्वीकृति कराने के लिए, माननीय सदस्य भी जानते हैं, केन्द्र से प्रखंड-वाईज योजना आती है, यहाँ से जो प्रक्रिया हैं, उसकी पूरा करने के बाद ही भेजा जाता है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, मंत्री जी का उत्तर अपने में विरोधाभास है। आपको राशि मिली तो आपने योजनाओं में इंगित किया होगा। जब आप ही योजना भेज रहे हैं तो फिर केन्द्र से स्वीकृति की कौन-सी बात कह रहे हैं ?

श्री तुलसी सिंह : महोदय, संभावनाओं पर वजट और योजना बनायी जाती है। जो निश्चित किया गया, योजना नहीं मिली तो राशि सरेन्डर होगी ही।

श्री फुरकान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान-सभा का जो समिति है, आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति, उसका क्लीयर प्रतिवेदन आया है कि सरकार रूपया खर्च करनें में अक्षम साबित हुई है। जो प्रतिवेदन आया है, उससे साफ जाहिर होता है कि आप काम नहीं कर सके। आपकें लेपसेज के वजह से सारा पैसा सरेंन्डर दर गया और पैसा खर्च नहीं हों सका। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनको योजना मंत्री से हटाईए, नहीं तो वे राज्य को डूबा देगें ।

:व्यवधानः

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव वर्मा जी, यह सवाल एक दिन और पहले भी आया था। इस सवाल पर आपलोग ज्यादा प्रश्न मत कीजिए, हम इस प्रश्न को स्थगित करते हैं ।

श्री रामदेव वर्मा : क्यों स्थगित करते है ?

अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करता हूँ और इस पर मैं कार्रवाई करूंगा ।

:व्यवधानः

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है, यह विशेष अंगीभूत योजना का पैसा है। आपके कहा कि हम कार्रवाई करेगें । हाऊस आज खतम करने जा रहे है या परसों तक हाऊस चलेगा। महोदय, आप कब तक कार्रवाई करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष : जितने भी पार्टी के नेता है, मै जो कार्रवाई करूंगा, उसकी सूचना मैं आपलोगों को दे दूंगा।

:व्यवधान:

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए कौन दोषी है, इसको देखना चाहिए। इसी सदन में माननीय रामाश्रय बाबु आन्तरिक संसाधन समिति का रिपोर्ट दिये है और इसका उल्लेख किया गया है। महोदय, यह बहुत ही गंभीर सवाल है, आखिर यह पैसा वहां गया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किया जायेगा, केवल मंत्री को प्रोटेक्ट किया जायेगा, यह गरीबों का पैसा है...

अध्यक्ष : इसमें हम मंत्री को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे है।

श्री रामाश्राय प्र० सिंह : इस विभाग में वाल विभाग परियोजना एवं आंगन-वाड़ी में पैसा का लूट हो रहा है, यह कौन नहीं जानता है? इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, गरीबों के पैसा का लुट हो रहा है तो हमलोग सिर्फ आंख खोलकर देख नहीं सकते हैं, इस लुट को बन्द किया जाना चाहिए। आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कीजिए। महोदय, आप इस संबंध में एक समिति बना दीजिए।

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप जांच करने के लिए कहे है, ठीक है। यह प्रश्न लूट से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न सरेंडर से संबंधित है, उसी पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

:व्यवधान:

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आप एक समिति बना दीजिए और पूरे मामले दी जांच कराईए। यह कमजोर सरकार है, यह सरकार महिलाओं, हरिजनों के पैसा को खर्च नहीं कर रहीं है, यह सरकार पैसा को रिलायन्स में जमा कर दी है और अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे है कि हम निर्णय देगें । महोदय, आप इसमें फैसला दीजिए और सदन की

समिति बनाकर इसकी जांच करायी जानी चाहिए और मंत्री जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसे मंत्री को....

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा : यह सवाल कहां से आ रहा है, नेता, विरोधी दल के कहने से मंत्री बर्खास्त होगें क्या?

(इस अवसर पर सी.पी.आई., सी.पी.एम.पी.आई (माले) कांग्रेस एवं भाजपा के कई माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्ष : आपलोग अपनी-अपनी सीट पर जाईए न । आपलोग बैठिए न सीट पर, कार्रवाई में बहुत कुछ होता है।

:व्यवधान:

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी-अपनी सीट पर बैठिए ।

:व्यवधान:

अध्यक्ष : आप लोग पहले बैठिये ।

:व्यवधान:

अध्यक्ष : हम गरीबों की भलाई के लिए काम करेगें।

:व्यवधान:

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : माननीय सदस्य पहले अपनी सीट पर बैठें और सदन की भावना को उभरने दें। सब लोग अपनी-अपनी राय देगें।

:व्यवधान:

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, बैठिये । मैने सब माननीय सदस्यों की बातें सुनी है और विचार भी आया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैने कहा कि उस पर मै कार्रवाई करूगां, तो कार्रवाई करेगें, तब भी आपको शिकायत होगी ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण अपनी- अपनी सीट पर चले गए)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर खड़ा हूँ। प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि कार्य संचालन नियामवली के तहत चेयर के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जब एक बार आपका आदेश हो चूका है तो माननीय सदस्य पर वह लागु है। आपकी रूलिंग है और रूलिंग बदली नहीं जा सकती है।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, आपको रूलिंग देना चाहिए। आपको घोषणा करनी चाहिए। महोदय, आपने उस दिन भी कहा था कि हम कार्रवाई करेगें, जब माननीय राधा कृष्ण किशोर का सवाल था। आज तक आपने घोषणा नहीं किया अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल नेता, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। आपकी भी बात कंई दूसरे लोगों ने कहा। मैंने सारी बाते सुनी हैं। ऐसा निर्णय लूंगा ....

:व्यवधान:

आपके कहने से तो निर्णय न लूंगा ।

:व्यवधान:

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग ज़रा सा... आप लोग चूप न रहिये।

:व्यवधान जारी:

आप चुप रहिये न ।

श्री तुलसी सिंह : महोदय, यह जबर्दस्ती सदन में नहीं हो सकता । ये लोग जनतंत्र की हत्या कर रहे है।

:व्यवधान जारी:

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री ने अभी कहा है कि उंक्त संचिका मंगा कर देख लूंगी और उस पर कार्रवाई करूगीं ।

:व्यवधान जारीः

अध्यक्ष : आप बैठिये न । मुख्य मंत्री कह रही हैं । हमारे यहां लम्बित हैं अभी हमने फैसला नहीं किया है, यह आप जान लीजिए । मैं कहां कहता हूँ कि ....

:व्यवधान जारीः

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां वेल में आ कर कोई बात हो सकती है ? अपनी बात माननीय सदस्य सीट पर जा कर कहें। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं कही हैं कि सारी संचिकाओं को देख कर कार्रवाई करेगें।

श्रीमति राबड़ी देवी : आपलोग बैठिये तभी समस्या का हल होगा । आप लोग कुर्सी पर तो बैठिये, बैठिये न जा कर ।

:व्यवधान जारीः

अध्यक्ष महोदय, तुलसी जी, जो हमारे मंत्री हैं, उनसे हम संचिका मंगा लेंगे और संचिका को देख कर कार्रवाई होगी, हम कार्रवाई करेंगे, जो दोषी पाए जायेंगे, उनको दंडित किया जाएगा।

:व्यवधान जारीः

श्रीमति राबड़ी देवी : जो दोषी पाए जायेगें, उनको दंडित किया जायेगा। आप लोग बैठियें।

:व्यवधान जारीः

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा कर चुकी हैं कि मै संचिका मंगाकर देखूंगी और राशि को जहां खर्च होना चाहिए वहां खर्च किया जायेगा।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में माननीय सदस्यों की

भावनाओं को देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा की कि संचिकाओं को मंगवाकर वह देखेंगी। अध्यक्ष महोदय, यह संचिका नही देखेगीं ।

:व्यवधान:

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अभी आपलोगों नें सूना, माननीय मुख्यमंत्री ने आपलोगों की भावना को देखते हुये कहा है और मै ने भी कहा है कि उसपर कार्रवाई करेगें । माननीय सदस्य श्री राधा कृष्ण किशोर का भी एक प्रश्न है उसको मैंने आपने जिम्मे रखा है असपर कार्रवाई करेगें । आपके कहने से तुरन्त कैसे फैसला हो जायेगा

:व्यवधान:

अब सभा की कार्रवाई साढ़े बारह बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

पटना

दिनांक 21-7-98

गोपाल जी

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा

पटना